

प्रपत्र-54

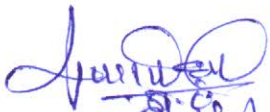
परियोजना विवरण :- पन्तगॉव-चमडखान -शैलापानी मोटर मार्ग का विस्तार(सिमलधार से शैलापानी तक मिलान)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी

अभिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रानीखेत


प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
नि० खा०, लो० नि० वि०
रानीखेत


सहायक अभियन्ता
नि० खा०, लो० नि० वि०
रानीखेत


सहायक अभियन्ता
नि० खा०, लो० नि० वि०
रानीखेत


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा